

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम को तामील
न जारी हुए

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

8-5-24

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 6-6-24 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

6/6/24

पत्रावली पेश हुई, वकील तार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन वाड अमिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाप किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्का क्रक-क्रक कर आवाणे जिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके सिव्ह एड तरफा कार्यवाही किये जाने का अडिश् दिया जावा है वकील तार्थीगण का प्र-पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न पुस्तक से लिखा जाकर शाप चर किया गया। पत्रावली के सख सुमार होकर नम्बर से कम ही

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



नम्बर
अधिकारी
मुद्रा
मं

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अफसरसि सिरोही ज़ीरोमंडल

मासोन अधिकारी- मगोवा, आर.ए.एफ.

दिना संख्या- 20/04/24

श्री गोपाल लाल शर्मा वी.ए.सी. अफसरसि सिरोही अफसरसि अफसरसि अफसरसि

राम

श्रीमती मोदी वी.ए.सी. अफसरसि सिरोही अफसरसि अफसरसि अफसरसि अफसरसि
(सुरक्षित आ. सं. सं. सं.)

अधिकारी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 स.भुरा.अधि. 1956

दिनांक- 08-08-24

आदेश

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 स.भुरा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर किये गए पत्रिका नं. सा.उ.स. पटवार इत्का सा.उ.स. तहसील माण्डल में रकबे खाते/संयुक्त खाते नं. 8477, 8496 कुल कित्ता 02 रकबा 0.6070 हेक्टर पर स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर पक्षीगण के नध्य आराजी नूतदायिवा के सीमा चिह्न कहे होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जाये।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.5.24 को प्रतीपाद किये जाकर एकरा सा.उ.स. को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि पत्थी एवं कच्ची कारत कारत को होने से पत्थरगढी बनाने पर गरी है। वैसे भी इन प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए क की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 स.भुरा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर एक सा.उ.स. तहसील माण्डल में रकबे खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 8477, 8496 कुल कित्ता 02 रकबा 0.6070 हेक्टर पर भूमि के पत्थी एवं कच्ची कारत को नुरत आकरारी किये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु सा.उ.स. अफसरसि सिरोही अफसरसि अफसरसि अफसरसि अफसरसि 500 रुपये/- कनिश्चर फीस पर कनिश्चर फीस जमा होने पर पत्थरगढी को मौजूदगी में किये जाये। स्थिति को बनाये रखते हुए तहसील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी को जाये। फलतः सारे होने पर नहीं की जावे।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल सिरोही

तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा साक्षि जना करने पर दिखानासुकर सा.उ.स. जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल सिरोही